माओवादियों का आह्वान!

बाघ अभयारण्य क्षेत्रों से आदिवासियों को खदेड़ने के सरकारी निर्णय के खिलाफ एकजुट होकर जोरदार संघर्ष करें!

जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को बचाने एवं आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसम्मान के लिए सशस्त्र संघर्ष के रास्ते कदम बढ़ाएं!

छत्तीसगढ़ के प्यारे आदिवासी भाइयों एवं बहनों! प्यारी जनता!

केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण(एनटीसीए) द्वारा देश के बाघ अभयारण्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी एवं अन्य लोगों के सभी अधिकार निलंबित करते हुए जारी जन विरोधी निर्देशों का भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी कड़ा विरोध करती है और पीढ़ियों से निवासरत आदिवासियों एवं अन्य लोगों को बाघ अभयारण्य इलाकों से खदेड़ने के लिए उद्देश्यित इन निर्देशों को अविलंब वापस लेने की मांग को लेकर जोरदार आन्दोलन करना चाहिए. अभयारण्य इलाकों में निवासरत आदिवासियों सहित छत्तीसगढ़ के तमाम आदिवासी जनजातियों, आदिवासी सामाजिक संगठनों, सर्व आदिवासी समाज, सर्व समाज, दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों एवं देश, दुनिया के मानवाधिकार संगठनों, पर्यावरणवादियों, प्रगतिशील–जनवादी बुद्धिजीवियों, लेखक–कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं, मानव विज्ञानियों, इतिहासकारों को चाहिए कि वे उक्त आन्दोलन की हर संभव मदद् करें.

एनटीसीए ने बाघ अभयारण्य क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों पर पाबंदी लगाने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों को हाल ही में नोटिस भेजा है. ज्ञात रहे, छत्तीसगढ़ में पहले से ही तीन बाघ अभयारण्य – बिलासपुर के अचानकमार, बस्तर के इंद्रावती और गरियाबंद के सीतानदी–उदंती बाघ अभयारण्य हैं. हाल ही में सूरजपुर जिले के तमोर–पिंगला को नए टाइगर रिजर्व बनाए जाने को मंजूरी मिल गयी है. एनटीसीए के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 46 बाघ हैं जबकि अचानकमार में यह संख्या 28 है. बिलासपुर उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान उक्त दावे को अव्यवहारिक करार दिया. यानी इसका सीधा मतलब है, बिना बाघों के ही बाघ अभयारण्य घोषित किए जा रहे हैं. राज्य के चार बाघ अभयारण्यों के करीबन 7 हजार 200 वर्ग किमी से भी ज्यादा क्षेत्र नए आदेशों के दायरे में आता है. इन आदेशों की वजह से करीबन 155 गांव और 70 हजार आदिवासी आबादी विस्थापित होगी

यहां यह बताना लाजिमी होगा कि अपनी कमियों व खामियों के बावजूद वनाधिकार कानून (फॉरेस्ट राइट्स एक्ट) 2006, वनों के समस्त रहवासियों को फसल और वन संसाधनों का उपयोग करते हुए परंपरागत आजीविका बनाए रखने का अधिकार देता है. राज्य के 10 लाख परिवारों द्वारा वनाधिकार पट्टे की पिछले 10 सालों से मांग करने के बावजूद अब तक आधे से ज्यादा परिवारों को पट्टे नहीं मिले हैं. एनटीसीए के हालिया आदेशों से टाइगर रिजर्व के आदिवासियों सहित अन्य रहवासियों पर वनाधिकार से ही नहीं बल्कि वनों से ही बेदखल होने का खतरा मंडरा रहा है. क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के मुताबिक टाइगर रिजर्व का कोर जोन बाघों की मातृभूमि होती है, अतः वहां से गांव हटाए जाते हैं. जबकि बफर जोन में बाघ और ग्रामीण दोनों साथ में रहते हैं जिससे दोनों के ही खासकर आदिवासियों के अधिकार प्रभावित होते हैं.

एनटीसीए के हालिया निर्देश कई मायनों में जन विरोधी खासकर आदिवासी विरोधी एवं देश विरोधी हैं. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के नाम पर इन्सानों को जानवरों से भी गया गुजरा समझने की अमानवीय व बर्बर सोच का नतीजा है, ये निर्देश. गाय को माता मानकर गोरक्षा के नाम पर साथी इन्सानों पर जानलेवा हमलें व हत्याएं करवाने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गिरोह की विचारधारा वाली ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा सरकार के अधीन कार्यरत एनटीसीए द्वारा बाघ संरक्षण के नाम पर देश भर के जंगलों से लाखों आदिवासियों को बेदखल करने के दिशा–निर्देश जारी करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है. ये भाजपा सरकार के असली चरित्र व स्वभाव को उजागर करने वाले आदेश हैं. दरअसल आदिवासियों को उनके जल–जंगल–जमीन से बेदखल करके बेशकीमती खनिज संसाधनों सहित उन्हें देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने की साजिश के तहत ही ऐसे निर्देश जारी कर दिए गए हैं. छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में वायुसैनिक अड्डे का निर्माण भी प्रस्तावित है जिसका हमारी पार्टी के नेतृत्व में वहां की जनता डटकर मुकाबला कर रही है. क्रांतिकारी आन्दोलन के दमन के सुदूर भविष्य की योजना के तहत ही वायु सैनिक अड्डे का निर्माण करने जा रहे हैं. सीतानदी–उदंती अभयारण्य के दसियों गांवों को खाली कराने वन विभाग के आदेश एक दशक से भी ज्यादा समय पहले जारी किए गए थे. कई गांवों के ग्रामीण आदिवासियों को खदेड़ा भी गया था. लेकिन उक्त इलाके में क्रांतिकारी आन्दोलन के विस्तार के बाद वहां के

आदिवासी हमारी पार्टी के नेतृत्व में एकजुट होकर विस्थापन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने जंगल और अपनी जमीन पर बेरोकटोक निवास कर रहे हैं. क्रांतिकारी आन्दोलन का खात्मा करने एवं तद्वारा जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों को कौड़ियों के भाव सौंपने के लिए ही भारत के शोषक–शासक वर्गों की सरकारें हमारी पार्टी सहित देश की उत्पीड़ित जनता एवं जन हितैषियों पर नाजायज युद्ध–ऑपरेशन ग्रीनहंट जारी रखी हुई हैं. इसीलिए जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को बचाने के लिए जरूरी है, क्रांतिकारी आन्दोलन की मजबूती और विस्तार.

यह सर्वविदित है कि देश के टाइगर रिजर्व के इलाकों में भारत के संविधान की 5 वीं अनुसूची लागू है. पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को सारे अधिकार दिए गए हैं. ग्राम सभाओं की अनुमति या उनसे परामर्श के बगैर कोई भी यहां तक कि सरकार भी आदिवासियों की जमीन को छीन नहीं सकती है. किसी प्रकार के परामर्श, विचार–विमर्श, जनसुनवाई के बिना ही एनटीसीए द्वारा जारी किए गए आदेश आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है. इसलिए ये आदेश भारत के संविधान का खुला उल्लंघन हैं, इसलिए गैर–संवैधानिक हैं. हालांकि भारत के शोषक–शासक वर्गों द्वारा अपने ही संविधान का उल्लंघन करते हुए उसके द्वारा आदिवासियों को प्रदत्त अधिकारों से उन्हें वंचित करने का सिलसिला कोई नयी बात नहीं है. दूसरी ओर एनटीसीए द्वारा बाघ अभयारण्य क्षेत्रों से वहां के आदिवासियों एवं अन्य रहवासियों के तमाम अधिकारों को निलंबित करते हुए आदेश जारी करना वनाधिकार कानून, 2006 में अवैध हस्तक्षेप है. उसका मजाक उड़ाने के बराबर है. यहां तमाम जनवादी–प्रगतिशील ताकतों, आदिवासी व गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों को अच्छे से अवगत होना चाहिए कि ये आदेश केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में ही जारी किए गए हैं. पर्यावरण मंत्रालय ने भी पारदर्शिता न बरतते हुए, आदिवासियों के हितों को ताक पर रखकर उक्त आदेश जारी करने में एनटीसीए का रास्ता सुगम बनाया है. एक बात में कहा जाए तो एनटसीए द्वारा बाघ अभयारण्य क्षेत्रों से आदिवासियों सहित अन्य लोगों को खाली कराने के आदेश आदिवासियों के साथ केंद्र सरकार का भद्दा मजाक है.

यह जगजाहिर है कि सदियों से जंगलों में वन्यजीव एवं आदिवासी साथ–साथ रहते आए हैं और वनों, वन्यजीवों व आदिवासियों के बीच संतुलन, सामंजस्य, संरक्षण व संवर्धन बेजोड़ जारी रहा. आदिवासियों की वजह से वन, वन्यजीव या पर्यावरण कभी नष्ट नहीं हुए. पहले अंग्रेजी साम्राज्यवादियों, बाद में भारत के शोषक–शासक वर्गों द्वारा बनाए गए वन कानूनों, उनके द्वारा अपनायी गयी जन विरोधी, आदिवासी विरोधी नीतियों, जल–जंगल–जमीन व संसाधनों के अंधाधुंध दोहन व लूट, जंगल कटाई, सरकारी संरक्षण व भागीदारी से वन माफियाओं, खनिज माफियाओं, वन्यजीव शिकार माफियाओं द्वारा जारी लूट की वजह से वनों, वन्यजीवों व आदिवासियों के बीच तालमेल बिगड़ गया और आदिवासियों की जीवनशैली भी बूरी तरह प्रभावित हो गयी. वन्यजीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया.

यहां यह समझना आवश्यक है कि समस्या की जड़ हैं, शोषक–शासक वर्ग एवं उनका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें, सरकारों द्वारा अपनायी जाने वाली देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानापरस्त नीतियां जिनता मकसद महज अथाह मुनाफा कमाने के सिवाय और कुछ नहीं. इसलिए सरकारों की इन जन विरोधी, आदिवासी विरोधी, देश विरोधी नीतियों का भंड़ाफोड़ करना चाहिए. कानूनी, खुला, गुप्त, गैर–कानूनी हर संभव तरीके से लड़ते हुए एनटीसीए के अवैध आदेशों को रद्द कराना होगा. बाघ अभयारण्य क्षेत्रों से जबरन खाली कराने के वन विभाग, पुलिस–प्रशासन या अर्धसैनिक बलों की कोशिशों को नाकाम करने हाथ लगे हथियार उठाकर सशस्त्र संघर्ष के रास्ते पर कदम बढ़ाना आवश्यक है. यही अपने अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसम्मान, जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को बचाने का असली व जायज रास्ता है. यह संघर्ष सिर्फ बाघ अभयारण्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों एवं अन्य रहवासियों की ही नहीं है. यह तो राज्य और देश के समूचे आदिवासियों, गैर–आदिवासियों तथा मैदानी व शहरों के तमाम लोगों की है. क्योंकि सरकारें न सिर्फ बाघ अभयारण्य क्षेत्रों के ही आदिवासियों को नहीं बल्कि देश के सभी जंगलों से ही आदिवासियों को खदेड़ना चाहती है, और खदेड़ रही है. बड़ी खनन परियोजनाओं, वृहद बहु उद्देश्यीय बांध परियोजनाओं, देशी, विदेशी वृहद एवं अति वृहद औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आदिवासियों एवं उनके जल–जंगल–जमीन सहित तमाम संसाधनों की बलि चढ़ा रही हैं. ये शोषणमूलक सरकारें विकास के नाम पर विनाशलीला रच रही हैं. आम आदिवासी, किसानों की कीमत पर कॉरपोरेट विकास की राह सुगम बना रही हैं. प्राकृतिक संपत्ति और संसाधनों का यह अंधाधुंध दोहन बेरोकटोक जारी रहेगा तो हमारे और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा. इसलिए प्राकृतिक संपत्ति व संसाधनों को बचाने, उनका इस्तेमाल सही ढंग से समस्त जनता के हित में होने, पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता को बचाना, उनके सर्वांगीन विकास के लिए लड़ना अति आवश्यक है. इसीलिए आइए! हम सब मिलकर जंगलों से आदिवासियों को खदेड़ने की शोषक सरकारों की कोशिशों को नाकाम करते हैं.

★ **जल–जंगल–जमीन व संसाधनों पर जनता का ही अधिकार है, हर हाल में उसे कायम रखेंगे!**

★ **कॉरपोरेट लुटेरों की जागीर नहीं, प्राकृतिक संपत्ति व संसाधन जनता के हैं और रहेंगे!**

★ **बाघ अभयारण्य, नेशनल पार्क या सार्वजनिक हित के नाम पर जंगलों से आदिवासियों को खदेड़ने की सरकारी साजिशों को नाकाम करें!**

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी,
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

दिनांकः अप्रैल 16, 2017